पत्र सं०– 5/पी०–27/2023– 15 (5) योजना स्वा०

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक: 21.05.2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 में पलामू जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, सराईडीह के भवन निर्माण की योजना में मूल प्रशासनिक स्वीकृति के इत्तर हुए अतिरिक्त व्यय की राशि कुल 13,86,568/–(तेरह लाख छियासी हजार पाँच सौ अड़सठ) रूपये मात्र को राज्य योजना मद से दिए जाने हेतु व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2026–27 में पलामू जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, सराईडीह के भवन निर्माण की योजना में मूल प्रशासनिक स्वीकृति के इत्तर हुए अतिरिक्त व्यय की राशि कुल 13,86,568/–(तेरह लाख छियासी हजार पाँच सौ अड़सठ) रूपये मात्र को राज्य योजना मद से दिए जाने हेतु व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. अपर मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति, राँची के पत्रांक–64(HSN) दिनांक–14.03.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के निधि से पलामू जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, सराईडीह के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल 2,30,00,000/– (दो करोड़ तीस लाख) रूपये की लागत पर स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना में स्वीकृति के समुतल्य राशि योजना के कार्यकारी एजेंसी झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध कराई गई है।

3. कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक–1019(नि०) दिनांक–10.05.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि विषयांकित कार्य पूर्ण है एवं योजना को वित्तीय रूप से पूर्ण करने हेतु कुल 13,86,568/–(तेरह लाख छियासी हजार पाँच सौ अड़सठ) की आवश्यकता है। योजना में कुल 2,43,86,568/– रूपये की लागत पर एकरारनामा किया गया है। इस प्रकार योजना में अधिक राशि पर एकरारनामा के कारण प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 2,30,00,000/– रूपये से कुल 13,86,568/– की वृद्धि हुई है, जिसका प्रतिशत में वृद्धि 6.02 है।

4. योजना में हुए अतिरिक्त व्यय की राशि का वहन भारत सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। फलस्वरूप योजना को वित्तीय रूप से पूर्ण कराने हेतु अतिरिक्त व्यय की राशि का वहन राज्य योजना मद से किया जाना है।

(आनंद कुमार सिन्हा) अवर सचिव	(ललित मोहन शुक्ला) संयुक्त सचिव	(अजय कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव

5. उक्त योजना में वृद्धि की राशि 20% के अधीन है। अतएव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) के अधिसूचना सं०–1269 दिनांक–21.09.2023 की कंडिका–4 के अनुसार में उपरोक्त मामले में पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अतः मूल प्रशासनिक स्वीकृति से अतिरिक्त व्यय की राशि कुल 13,86,568/–(तेरह लाख छियासी हजार पाँच सौ अड़सठ) रूपये की स्वीकृति दी जा रही है।

6. योजना में दायित्व राशि का आवंटन अलग से निर्गत किया जायेगा।

7. इस योजना हेतु व्यय का विकलन बजट मुख्यशीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–48–जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण–01 जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित–05 निर्माण–45 निर्माण कार्य (विपत्र कोड 20एस 4210–01–110–48–01–05–45) अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जाएगा।

8. इस योजना हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे। सिविल सर्जन, राँची राशि का एक मुश्त हस्तान्तरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि०, राँची के पी०एल० खाता– मुख्यशीर्ष– 8448– स्थानीय निधि जमा–120– अन्य निधियॉ में करेंगे ।

9. इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची होंगे ।

10. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दि०–17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन राँची कोषागार से की जाएगी।

11. व्यय किसी भी परिस्थिति में प्रशासनिक स्वीकृत राशि के अन्तर्गत किया जाएगा। कार्य में किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी अनुमान्य नहीं होगा।

12. संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता योजना की वित्तीय/भौतिक समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरुप हो।

13. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता का दायित्त्व होगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रुप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रुप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

15. कार्य की सही गुणवत्ता के लिये संबंधित कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता जिम्मेवार होंगे।

16. योजना के कार्यकारी एजेंसी द्वारा कार्यो की गुणवत्ता एवं प्रगति का मूल्यांकन इस उद्देश्य से चयनित Third Party Evaluation एजेन्सी से कराना सुनिश्चित करते हुए उसका प्रतिवेदन प्राप्त किया जाएगा।

(आनंद कुमार सिन्हा) अवर सचिव	(ललित मोहन शुक्ला) संयुक्त सचिव	(अजय कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव

15(5) योजना
21.05.2026

17. योजना में वृद्धि पी०डब्ल्यू०डी० कोड के सुसंगत नियमों के अनुरुप हो, इससे झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची पूर्ण रुप से आश्वस्त हो लेने के बाद ही राशि का व्यय सुनिश्चित किया जाएगा। योजना में किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान के लिए निगम के संबंधित पदाधिकारी/अभियंता जिम्मेवार होंगे।

18. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– 15(S) योजना .... राँची, दिनांकः– 21.05.2026

प्रतिलिपिः

1. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि०, राँची।
2. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।
3. उपायुक्त, पलामू/राँची।
4. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड, राँची।
5. सिविल सर्जन, राँची/पलामू।
6. कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची।
7. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड, राँची।
8. प्रभारी पदाधिकारी, PMU कोषांग, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनंद कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

15(S) योजना
21.05.2026